

न्यायालय- ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क.-256 / 2008)

(संस्थित दिनांक :-20.05.08)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र-

गोहद जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

नरेन्द्रसिंह पुत्र अहिवरनसिंह उम्र 30 साल

निवासी श्यामपुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 27.10.2016 को घोषित)

अभियुक्त पर भा.द.सं. की धारा 279, 337 एवं 304 ए के अन्तर्गत आरोप हैं कि उसने दिनांक 24.04.08 को 8:00 बजे दयालसिंह के खेत के सामने आम रोड पर अपने आधिपत्य के टेक्टर क्रमांक एम0पी0-30 4149 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, टेक्टर ट्राली को पलट दिया जिससे ट्राली में बैठे तख्तसिंह, गौरव, सुजान, शांति तथा भूरीबाई को चोटें आई तथा सीता पत्नी रिकू की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती।

02. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 24.04.08 को सुबह करीब 8 बजे खडेर हबीपुरा रोड पर दयाल श्रीवास्तव के खेत के सामने एक टेक्टर ट्राली पलट जाती है। जिसमें ग्राम हरपुरा से बकीलसिंह के यहां शादी से टेक्टर टेंट का सामान भरकर ला रहा था जिसमें भूरीबाई, सरिता, सुजानसिंह, तख्तसिंह, शांतिबाई बैठे थे। टेक्टर ट्राली पलट जाने से सरिता की मौके पर मृत्यु हो जाती है शेष को चोटें आती हैं। इस आशय की सूचना से देहाती नालिसी थाना गोहद के एसआई रमाकांत शुक्ला द्वारा लेख की जाती है। आहतगण को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद चलाया जाता है,उनका चिकित्सीय परीक्षण क राया जाकर मृत्तिका का शव परीक्षण कराया जाता है। महिन्द्रा टेक्टर केचालक के विरुद्ध अप0क0-84/08 पंजीबद्ध किया जाता है, नक्शामौका बनाया जाता है, साक्षियों के कथन लेख किए जाते हैं, टेक्टर जब्त किया जाता है, उसकी मैकेनिकल जांच कराई जाती है, अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया जाता है। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जाता है।

03. आरोपी को पद क्र 1 अन्तर्गत आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन कथन में स्वयं के निर्दोष होने तथा झूठा फंसाए जाने का कथन किया है।

04. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1-क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.04.08 को 8:00 बजे दयालसिंह के खेत के सामने आम रोड पर अपने आधिपत्य के टेक्टर क्रमांक एम0पी0-30 4149 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2-क्या उक्त दिनांक, समय पर आहतगण तख्तसिंह, गौरव, सुजान, शांति तथा भूरीबाई को चोटें मौजूद थी, यदि हाँ तो उनकी प्रकृति ?

3-क्या उक्त दिनांक, समय पर मृतिका सरिता पत्नी रिकू की मृत्यु कारित हुई ?

4-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उक्त रीति से चलाकर मृतक सरिता की ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती ?

सकारण निष्कर्ष

05. अभियोजन की ओर से प्रकरण में भूरीबाई, अ.सा.01, डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 2, डा0 जी0आर0 शाक्य अ0सा0 3, श्रीमती शांति अ0सा0 4, सुजानसिंह अ0सा0 5, तख्तसिंह अ0सा0 6, रमाकांत शुक्ला अ0सा0 7, अतरसिंह अ0सा0 8, जवानसिंह अ0सा0 9 व विजयपाल अ0सा0 10 को परीक्षित कराया गया, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 व 3 का निष्कर्ष //

06. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु एक साथ विवेचन किया जा रहा है। भूरीबाई अ0सा0 1 यह कथन करती है कि घटना उनके साक्ष्य दिनांक 11.05.16 से 7-8 साल पहले सुबह करीब 10 बजे की है। वे अपनी बहन के यहां शादी करने हरपुरा गयी थी और शादी करके वहां से गांव बघेडी लौटकर टेक्टर से आ रही थीं। उनके साथ सरिता, एक छोटा लडका व दो अन्य लोग बैठे थे तथा टेक्टर में शादी का सामान (टेंट के गद्दे आदि) रखे थे। गांव हरपुरा के आगे निकलकर टेक्टर पलट गया जिससे वे लोग दब गए, साक्षी बेहोश हो गयी, उसकी लडकी टेक्टर के नीचे दबने से खत्म हो गयी थी। अन्य लोगों की जानकारी न होना बताती है। साक्षी को पक्षद्रोही कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह बताती है कि उसके साथ लडकी सरिता, रानी, शांति, उसका नाती सुकाण्ड, सुजानसिंह व तख्तसिंह भी बैठे

थे। शांति अ0सा0 4 भी यही बताती है कि वे हरपुरा से शादी से लौटकर टेक्टर से आ रही थी और मडगार्ड पर बैठी थीं। जिस ट्राली में सामान भरा था और कई लोग बैठे थे। हरपुरा से आते समय पक्के रोड पर टेक्टर ट्राली पलट गयी जिससे उसे व अन्य लोगों को चोटें आईं। साक्षी यह बताती है कि टेक्टर में दबने से वह बेहोश हो गयी और उसका दायां हाथ टूट गया और स्वयं को होश ग्वालियर में आना बताती है। सुजानसिंह अ0सा0 5 टेक्टर ट्राली में पलट जाने से सिर व शरीर में चोट आना बताते हैं और यह साक्षी भी ग्वालियर में 2-3 दिन बाद होश आने का कथन करते हैं। तख्तसिंह अ0सा0 6 अभिसाक्ष्य में टेक्टर ट्राली पलट जाने से उसे शरीर में चोट आना और बेहोश हो जाने का कथन करते हैं। जवानसिंह अ0सा0 9 अपने अभिसाक्ष्य में स्वयं, उसकी बहू सरिता, बच्चा तथा सरिता की मां के हरपुरा से आने पर टेक्टर के बहककर पलट जाने से सरिता की मृत्यु हो जाने, सरिता की मां के पैर में चोट आना व अन्य लोगों को भी चोट आने के संबंध में कथन करते हैं।

07. भूरीबाई अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में रिपोर्ट प्र0पी0 1 लिखाए जाने के संबंध में कथन करती हैं। रमाकांत शुक्ला अ0सा0 7 दिनांक 24.04.08 को थाना गोहद में प्र0आर0 के पद पर पदस्थ होने का कथन करते हुए यह बताते हैं कि वे उक्त दिनांक को हबीपुरा रोड पर एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे वहां पर फरियादी भूरीबाई मिली थी जिन्होंने दिनांक 22.04.08 को बकील सिंह की लड़की की शादी में जाने और 7:30 बजे हरपुरा से महिन्द्रा टेक्टर में टेंट का सामान भरकर आते समय लड़की सरिता, मेहमान सुजानसिंह, तख्तसिंह, शांतिबाई के बैठकर आने और चालक द्वारा तेजी लापरवाही से पलट देने से सरिता की मृत्यु हो जाने और अन्य सभी को चोटें आने का कथन करते हैं। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में मृतिका के शव परीक्षण का आवेदन प्रपी0 16 दिया जाना और पंचायतनामा व उसका नोटिस प्र0पी0 14 व 15 के रूप में ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताकर प्रमाणित करते हैं।

08. प्रकरण में चिकित्सक डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 2 घटना दिनांक 24.04.08 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मृतिका सरिता पत्नी रिकू का शव परीक्षण किए जाने पर बाह्य परीक्षण में चार चोटें और आंतरिक परीक्षण में सिर के पिछले भाग में खून का थक्का मौजूद होने व मृतिका के कण्ठ, श्वास नली, दोनों फेफड़े, मुंह तथा ग्रास नली, आंतों की झिल्ली, तिल्ली, गुर्दा, जिगर संकुचित होने का कथन करते हैं। अपने अभिमत में मृतिका की मृत्यु सिर में आई चोट से कोमा में जाने के कारण शव परीक्षण से 12 घण्टे के भीतर होने के संबंध में राय देते हैं, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 4 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताकर प्रमाणित करते हैं।

09. डा0 जी0आर0 शाक्य दिनांक 24.04.08 को ही आहत शांति पत्नी सुरेश, आहत तख्तसिंह पुत्र विन्द्रावन, भूरीबाई पत्नी रूपसिंह, गौरव पुत्र दिनेश तथा सुजानसिंह पुत्र हाकिमसिंह का चिकित्सीय परीक्षण किए जाने पर उन्हें भिन्न भिन्न चोटें पाए जाने तथा आहत भूरीबाई का एक्सरे परीक्षण करने

पर उसके दाएं पैर की मध्य उंगली में अस्थिभंग पाए जाने के संबंध में अपनी राय देते हैं। आहतगण के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 5 लगायत 9 तथा भूरीबाई की एक्सरे परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0 10 के रूप में ए से ए भाग पर हस्ताक्षर बताकर प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में मृतिका सरिता की मृत्यु को साक्षियों के अभिसाक्ष्य में अभियुक्त की ओर से चुनौती नहीं दी गयी है और चिकित्सीय साक्षी डा0 आलोक शर्मा अ0सा0 2 उसके प्रतिपरीक्षण उसकी मृत्यु सीढियों से फिसलकर कठोर भूमि पर गिरने व अधिक रक्तस्राव के कारण होने के संबंध में सुझाव दिया है। इसी प्रकार से अभियुक्तगण की ओर से आहतगण भूरीबाई, शांति, सुजान, तख्तसिंह, गौरव को आई चोटों के संबंध में किसी दीवाल के गिरने से उसके नीचे दबकर आने से संभव होने के संबंध में चिकित्सक डा0 जी0आर0 शाक्य अ0सा0 3 को सुझाव दिया है जबकि उक्त आहतगण को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया। ऐसे में प्र0पी0 4 लगायत 10 के दस्तावेज जो कि भारतीय साक्ष्य अधि0-1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर धारा 114 ड के अधीन उन पर अविश्वास का कोई आधार न होने से पदीय कर्तव्य के निर्वहन में सम्यक रूप से निष्पादित किए जाने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है। अतः यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 24.04.08 को मृतिका सरिता की मृत्यु एवं आहतगण भूरीबाई, शांतिबाई, सुजानसिंह, तख्तसिंह एवं गौरव को चोटें जिनमें भूरीबाई को अस्थिभंग मौजूद थे।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 4 का निष्कर्ष //

10. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु एक साथ विवेचन किया जा रहा है। फरियादी भूरीबाई अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करती हैं कि जो टेक्टर से आहतगण व मृतिका सरिता आ रही थी उक्त टेक्टर हरपुरा में शादी से टेंट के गद्दे सामान को रखकर आ रहा था। उक्त टेक्टर हरपुरा के आगे निकलकर रोड पर पलट गया था, टेक्टर आराम से चलने का कथन करती है किन्तु यह बताने में अस्मर्थ है कि टेक्टर को कौन चला रहा था। अभियुक्त के द्वारा टेक्टर चलाए जाने के संबंध में सुझाव देने पर साक्षी इंकार करती है। शांति अ0सा0 4 भी यही कथन करती है कि वे टेक्टर से आ रहे थे और पक्के रोड पर टेक्टर ट्राली पलट गए किन्तु टेक्टर को कौन चला रहा था वे नहीं जानती तथा टेक्टर कैसे चल रहा था इसके बारे में जानकारी का अभाव बताती हैं। सुजानसिंह अ0सा0 5 टेक्टर चलते समय लहराकर ट्राली पलटने के संबंध में कथन किया गया है किन्तु टेक्टर कौन चला रहा था यह साक्षी बताने में अस्मर्थ है। तख्तसिंह अ0सा0 6 अपने अभिसाक्ष्य में हरपुरा से एक किमी0 आगे चलते में टेक्टर ट्राली लहराकर पलट देने के संबंध में साक्षी कथन करते हैं। किन्तु यह साक्षी भी टेक्टर को चलाने वाले व्यक्ति को नहीं जानते।

11. प्रकरण में साक्षी जवानसिंह अ0सा0 9 यह कथन करते हैं कि वे लोग सुबह महिन्द्रा लाल रंग के टेक्टर से आ रहे थे, गांव से थोड़ा निकलकर टेक्टर बहक गया और पलट गया। साक्षी

सूचक प्रश्नों में स्वीकार करते हैं कि टेक्टर बकीलसिंह के रिश्तेदार अहवरनसिंह का था जिस पर एम0पी0 30 पटेल लिखा था। यह भी स्वीकार करते हैं कि टेक्टर तेजी व लापरवाही से चलाकर ट्राली सहित चालक ने पलट दिया था। साक्षी इस संबंध में कथन करते हैं कि वे टेक्टर चालक को सामने आने पर पहचान लेंगे। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर साक्षी बताते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो घटना दिनांक को घटना कारित करने वाला टेक्टर चला रहा था। साक्षी अभियुक्त की पहचान शादी में देखने के आधार पर शकल से आरोपी को जानने का कथन करते हैं और प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में साक्षी द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित होने व टेक्टर में बैठने के संबंध में कथन करते हैं। इस प्रकार से यह साक्षी अभियुक्त द्वारा अभिकथित टेक्टर को चलाए जाने का कथन करते हैं।

12. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया कि आहतगण जो कि वाहन के चालक को नहीं जानते जबकि जवानसिंह अ0सा0 9 उसके विरुद्ध असत्य कथन कर रहे हैं। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि यह तथ्य चुनौती विहीन रहा है कि मृत्तिका व आहतगण ग्राम हरपुरा से टेक्टर व ट्राली में बैठकर जा रहे थे और अभिकथित टेक्टर व ट्राली पलट गए जिसमें उन लोगों को चोटें आईं। मुख्य रूप से प्रश्न अवधारणीय है कि क्या अभियुक्त द्वारा कथित टेक्टर चलाया जा रहा था। आहतगण जो कि शादी में सम्मिलित होकर शादी के टेंट आदि सामान को ला रहे टेक्टर में बैठ जाने के संबंध में कथन करते हैं कि ऐसे में यह स्वाभाविक तथ्य है कि वे टेक्टर किसका है और उसका चालक कौन हैं, इसके संबंध में जानकारी लेते यह आवश्यक नहीं था। जवानसिंह अ0सा0 9 जिनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण व सूचक प्रश्नों में अभियुक्त जिसे वे शादी में मिलने के कारण वे चेहरे से पहचानते थे उसे वाहन टेक्टर के चालक के रूप में साक्ष्य में पहचान लेते हैं और इस साक्षी के घटना के चक्षुदर्शी साक्षी न होने के संबंध में अभियुक्त पक्ष की ओर से खण्डन नहीं कराया जा सका बल्कि घटनास्थल पर घटना के समय मौजूदगी के संबंध में सुझाव दिया जिसे साक्षी ने स्वीकार किया। उसकी साक्ष्य में पूर्वतन कथन का भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 145 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से खण्डन नहीं कराया गया। ऐसे में साक्षी द्वारा अभियुक्त के संबंध में अविश्वास पूर्ण कथन किए जाने का कोई औचित्य व आधार अभिलेख पर नहीं हैं। यद्यपि साक्षी सूचक प्रश्नों में अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर सुझाव देने पर संपूर्ण कथन करते हैं। किन्तु यह सुस्थापित विधि है कि पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य इस कारण से अविश्वसनीय नहीं हो जाती है कि वह पक्षद्रोही हो गया है बल्कि जितनी साक्ष्य अभियोजन के मामले का समर्थन करती है और खण्डन तथा अविश्वास का कोई आधार नहीं हैं तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र तिवारी विरुद्ध म0प्र0 राज्य ए0आई0आर0-1991 सुप्रीमकोर्ट-1853 पूर्ण पीठ तथा तूफानसिंह विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2005 (1) एम0पी0एल0जे0-412 अवलोकनीय व अनुसरणीय हैं।

13. प्रकरण में अभियोजन के अन्य साक्षी अतरसिंह अ0सा0 8 वाहन के मैकेनिकल जांच साक्षी है जिन्होंने जब्तशुदा वाहन में कोई खराबी नहीं पाई थी और सिस्टम सही पाए थे। ऐसे में यदि दुर्घटना कारित होती है तो ऐसी दशा में उक्त वाहन के चालक की उपेक्षा या त्रुटि का परिणाम दुर्घटना होती है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता रमाकांत शुक्ला अ0सा0 7 अभियुक्त से टेक्टर जब्त किए जाने और जब्ती पत्रक प्र0पी0 18 तथा गिर0 पत्रक प्र0पी0 17 बनाने का कथन करते हैं। साक्षी टेक्टर मालिक के कथन के आधार पर उक्त वाहन को जब्त किया जाना बताते हैं। वाहन के स्वामी विजयपाल अ0सा0 10 हैं जो घटना दिनांक को टेक्टर उसके घर श्यामपुरा रखे होने का कथन करते हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि वाहन स्वामी विजयपाल अ0सा0 10 जो कि वाहन का घटना दिनांक को उसके घर रखा होना बताते हैं, उनकी ओर से प्र0पी0 20 का प्रमाणपत्र लिया गया है। यद्यपि साक्षी उस पर लिखे तथ्यों के संबंध में इंकार करते हैं किन्तु उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करते हैं। विधि के अधीन कोई दस्तावेज जिस पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं उसके संबंध में यह माना जाता है कि उक्त दस्तावेज उक्त व्यक्ति द्वारा पढ लिया अथवा समझ लिया होगा। यदि इस प्रकार से दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के बावजूद उसकी अंतर्वस्तु से इंकार करता है तो निष्पादक को अच्छी साक्ष्य प्रस्तुत करनी होगी कि वह दस्तावेज उसके ज्ञान में किस प्रकार से नहीं था या उससे कपट या दुव्यपदेशन या भूल से या दबाव में हस्ताक्षर कराए गए हो। इस संबंध में साक्षी द्वारा कहीं कोई शिकायत या परिवाद किया हो इस संबंध में भी कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं।

14. उपरोक्त विवेचन के अधीन अभियोजन अपना मामलायुक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 24.04.08 को सुबह करीब 8 बजे दयालसिंह के खेत के सामने टेक्टर एम0पी0-30 एम-4149 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उसे पलट दिया जिससे मृत्तिका सरिता की ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव बध की श्रेणी में नहीं आती और आहत भूरीबाई, शांतिबाई, तख्तसिंह, सुजानसिंह तथा गौरव को उपहति कारित हुई। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337, 304 ए के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

15. अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। उसे अभिरक्षा में लिया जावे।

16. अभियुक्त के कृत्य से एक स्त्री की मृत्यु कारित हुई है और पांच व्यक्तियों को उपहतियां कारित हुई हैं। वर्तमान में तेजी से बढ रही उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक वाहनों की संचालित किए जाने की प्रवृत्ति के कारण कई व्यक्तियों को अपने मानव जीवन को खोना पडता है और कईयों को जीवनभर इस प्रकार की दुर्घटना की यादें चोटों के रूप में लेने के लिए विवश होना पडता है। अभियुक्त की ओर से उसके प्रथम दोषसिद्धि होने और प्रकरण के लगभग 8 वर्ष से लंबित होने के कारण कम दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की है

किन्तु दुर्घटना के फलस्वरूप जिन व्यक्तियों को क्षति कारित हुई है उनकी भरपाई मात्र समय के आधार पर कम से कम दण्ड देने का औचित्य उचित दर्शित नहीं होता है।

17. प्रकरण में अभियुक्त के कृत्य अथवा उपेक्षा वउतावलेपन से वाहन के संचालन के कारण हुई दुर्घटना में कारित मानव क्षति व उपहतियां ध्यान में रखते हुए व एक ही कार्य का परिणाम होने से संहिता की धारा 71 व दप्रस की धारा 222 के प्रकाश में संहिता की धारा 279 का अपराध धारा 337 में आच्छादित होता है। ऐसे में अभियुक्त को संहिता की धारा 304 ए एवं संहिता की धारा 337 के अधीन दण्डित किया जाता है। अतः अभियुक्त को उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 304 ए के अधीन एक वर्ष 6 माह के सश्रम कारावास तथा पांचसौ रुपये के अर्थदण्ड तथा संहिता की धारा 337 के अधीन 6 माह के सश्रम से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे। यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त के दोनों कारावास क्रमवर्ती अर्थात् एक के पश्चात् एक चलेंगे।

18— प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति वाहन क्र० एम०पी०-30 एम०-4149 पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

19. निर्णय की एक एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

20. अभियुक्त की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रस० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश